

नोटिस न्यायालय सूचना पदद	:	16.09.22
(बैंक द्वारा)		
नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा)	:	26.09.22
निरीक्षण की तिथि	:	31.10.22
अमानत राशि एवं रजिस्ट्रेशन की	:	07.11.22
अंतिम तिथि		
ई-ऑक्शन	:	11.11.22

कार्यालय वसूली अधिकारी - प्रथम
 ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-11, किसान भवन के सामने
 लालकोठी शोपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान)
 (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)
फार्म संख्या 13

5423
 16/9/22

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

वसूली प्रमाण पत्र संख्या: 108/2003

प्रकरण का उनवान:

SASF बनाम Suman Hotel

विक्रय की उद्घोषणा

यहकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 108/2003 जो कि मूल आवेदन संख्या 142/2002 में दिनांक 28/02/2007 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध रूपयेक्रमशः 11,01,67,003/-रु. मय ब्याज, हर्जा शुल्क इत्यादि की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंगन अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार आज दिनांक तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों एवं भविष्य का ब्याज बकाया है एवं प्रमाण-पत्र के अनुसार दिनांक-31/12/2011 तक ब्याज एवम् खर्च सहित कुल 64,10,22,607/-रु. एवम् भविष्य का ब्याज बकाया होते है।

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय M/s ANTARES SYSTEMS LIMITED के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के जरिये www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से दिनांक 11-11-2022 को प्रात 11 बजे से साय 3 बजे तक किया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसी स्थिती में है" के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्च सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।



16/9/22
 वसूली अधिकारी-11
 ऋण वसूली अधिकरण
 जयपुर

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा:-

- (1) सलंगन सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा।
- (2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य राशि रु.04.84 करोड़ निर्धारित है। जिससे कम मूल्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जावेगा।
- (3) सम्पत्ति की बोली सम्पत्ति रु. 1,00,000/के गुणांक में बढ़ाई जाएगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।
- (4) इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित बैंक साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है।
- (5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट आर0टी0जी0एस0 के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा **IDBI Bank IFSC No. IBKL0001001** में संधारित खाता संख्या 126102000000055 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जोकि सेवा प्रदाता की ई-मेल आई.डी. पर भी भेज सकते हैं।
- (6) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।
- (7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) कय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 126102000000055 में जमा करवायी जायेगी अथवा विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा खाता संख्या 126102000000055 में नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिगत किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा।
- (9) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेंगे। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/-रुपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का भुगतान करना होगा।
- (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता श्री मनोही एस. एवम् श्रीमती दिव्या सिंह से मोबाईल संख्या 9686196755 एवम् 9326838441 पर सम्पर्क कर सकते हैं।



इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते हैं तो वे नोडल अधिकारी से सेवा प्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं।

Signature
26/12
ऋण वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर

- (12) प्रस्तावित बोलीदाता **SASF** संपर्क— मोबाईल नम्बर **9686196755** एवम् **9326838441** के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं जो वेब साईड **www.bankeauctionwizard.com** पर उपलब्ध है।
- (13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 17/02/2022 को 3 बजे सांय तक है।
- (14) आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता M/s **ANTARES SYSTEMS LIMITED** के द्वारा दिनांक 11/11/22 को प्रात 11 बजे से सांय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सांय 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा।
- (15) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण :

लॉट की संख्या	सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य लाख में	समेकित आरक्षित राशि	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<p>सम्पत्ति :-</p> <p>सुमन होटल एण्ड रिसोर्ट लि० जैसलमेर (राज०) की लिस्ट के अनुसार बन्धकशुदा सम्पत्ति।</p> <p>रामगढ़ रोड, जैसलमेर में स्थित खसरा नम्बर-18 एवं 18/490 की भूमि एवं उसमें निर्मित भवन जिसकी चारो दिशाओं में</p> <p>पूर्व में- सडक</p> <p>पश्चिम में- जैसलमेर रामगढ़ रोड</p> <p>उत्तर में-अन्य भूमि</p> <p>दक्षिण में-अन्य भूमि</p> <p>कुल भूमि 17 बीघा 2 बिस्वा</p>			ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक : 16/11/22 को जारी।



(Signature)
वसूली अधिकरण, जयपुर

वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर